सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक 701()पंरावि/प्रशा.2/क.अ./2016/ 3043

जयपुर, दिनांक :- 22/07/16

आदेश

करौली जिले में अतिवृष्टि से कई ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियां/जल भराव संरचनाओं आदि में नुकसान की मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु सर्वे आदि कार्य हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 2985 दिनांक 21.7.16 द्वारा 6 सहायक अभियन्ता एवं 6 कनिष्ठ अभियन्ताओं को जिला परिषद, करौली में दिनांक 29.7.16 तक के लिए कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है ।

उक्त कार्यों के सही मॉनिटरिंग/सम्पादन हेतु जिला परिषद, टौंक में पदस्थापित श्री ललित शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) को दिनांक 29.7.16 तक कार्य व्यवस्थार्थ जिला परिषद, करौली में लगाया जाता है । श्री शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली के निर्देशन में कार्य करेंगे । कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली की अनुशंषा पर कार्य अवधि बढाई भी जा सकती है । श्री शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता आवंटित कार्य तत्काल पूर्ण करेंगे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली के द्वारा कार्यमुक्त करने पर ही अपने पदस्थापित मुख्यालय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि.एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि.एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास ।
5. जिला कलैक्टर, टौंक /करौली/
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टौंक/करौली/
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. श्री ललित शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), जिला परिषद, टौंक (टौंक) को पालनार्थ।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव